

भारतीय संविधान की शकालक रूत संखालक विशुवतार

- भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद लक्षण उसका संखालक स्वरुप है। ऐसा संविधान के प्रथम अनुच्छेद से ही विहित हो जाता है, जिसमें भारत को राजुओं का संघ (Union of States) कहा गया है। कुछ न्यायविदु व राजनीति सिद्धान्तशास्त्री व हिपणीकार इसे संखालक (Federal) कुछ इसे शकालक (Unitary) तथा कुछ विचारक मध्यमवर्ग का अनुतरण करते हुए अर्द्ध - संखालक (Quasi-federal) कहते हैं।

संखवाद का अर्थ (Meaning of Federalism)

केंद्रीय व राजुतीय सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण या उनके शकत्रण के सन्दर्भ में विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं को मुलत: दो भागों में बाँटा जाता है। - शकालक आर संखालक। शकालक व्यवस्था में एक प्रत्यक्ष सम्पन्न शक्ति के हाथों में राज्य की सत्ता केंद्रीकृत होती है।

संखालक व्यवस्था में संविधान द्वारा स्थापित तथा नियन्त्रित, विभिन्न शकालकों के बीच शक्तियों का वितरण होता है।

कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य (Some important statements)

- मैं नहीं जानता कि कनाडा के संविधान में भूनिचन शब्द का प्रयोग किया गया। भारत एक संघ है जिसकी शकाल उस देश नहीं सकती। संघ अनाश्रवान है। डॉ. बी. डार. अम्बेडकर

• संविधान के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि शकालक है। आप केंद्र व राजुओं के बीच शक्तियों के वितरण का कोई वगीकरण करें।